RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026, **GCMS NO. 2026/3**

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

1. श्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग सिवाना जरीये सहायक अभियन्ता, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

1. श्री ग्राम पंचायत सिवाना, पंचायत समिति सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। (वर्तमान नगर पालिका सिवाना)
2. श्री रमेश कुमार पुत्र बगदाराम जी जाति प्रजापत निवासी सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 913 दिनांक 05.12.2019 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपील श्रीमाली, अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक :11.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 913 दिनांक 05.12.2019 के विरूद्ध दिनांक 06.01.2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम के तहत मौजा सिवाना में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 913 दिनांक 05.12.2019 को जारी किया गया। जिसका नाप व पड़ौस बदिषा उतर में आम रास्ता व 80 फीट, बदिषा दक्षिण लालाराम/चतराजी व 50 फीट, पूर्व में सोगाराम/बगदाराम व 54 फीट तथा बदिषा पष्चिम में प्रजापती न्याति भवन व 54 फीट, आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं

जिला कलक्टर
बालोतरा

किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिवाना(वर्तमना नगरपालिका सिवाना) से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि मौजा सिवाना के बमौहल्ला सिवाना से बालोतरा जाने वाली सडक के बदिशा पूर्वी तरफ स्थित अरट का जांव में स्थित जलदाय विभाग का पुराना पानी का कुंआ मय पानी की हौदी यानि पेजका था, जिससे सम्पूर्ण सिवाना की आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति होती थी तथा पशुधन के लिए भी एकमात्र पानी की हौदी बनी हुई थी। उक्त जलदाय विभाग के अधीन बेरा व अवाडा की भूमि के रखरखाव देखरेख का दायित्व जलदाय विभाग का रहा व है। हाल ही में ग्राम सिवाना के बदिशा पूर्वी भाग की आबादी में रहने वाले आमजन के पेयजल व्यवस्था हेतु राजस्थान सरकार द्वारा पेजयल हेतु पानी की एस आर टंकी निर्माण 700 KL का प्रस्ताव आया, जिस पर सरकार द्वारा वितीय स्वीकृति जारी की गई। जलदाय विभाग द्वारा अपने इंजीनियर द्वारा साईट प्लान तैयार कर, अरट के जाव स्थित उक्त पुराना कुंआ व पेजका पर ही ESR 700 ज्ञस टंकी बनाने का निर्णय लिया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आकर अपना पटटा पेश कर कहां कि वादग्रस्त भूमि उसकी पटटा सुदा भूमि का भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 ने अवैध तौर से ग्राम पंचायत सिवाना को मुगालते मे रखकर सार्वजनिक हितार्थ पुराने सरकारी कुंआ मय पेजका की भूमि का गलत तौर से पटा जारी करवा दिया। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 02 का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं हैं और न ही उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा कुंआ, पेजका की सार्वजनिक सरकारी संपति पर प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.12.2019 लेकर प्रशनगत पट्टा अवैध, अनुचित, अवैधानिक जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रशनगत पटटा धारा 157 क, ख पंचायती राज नियम के तहत जारी होना बताया हैं, जबकी धारा 157 क [illegible] पंचायती राज नियम उन्ही व्यक्तियों के पक्ष में भूमि आवंटित की जाती हैं जो [illegible] वर्ष से भी अधिक समय से रहवासरत पुराने गृहो का विनिमीतीकरण के [illegible] ही उक्त अधिनियम के तहत पटा जारी किया जा सकता। जबकि अप्रार्थी

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 02 की उम्र 35 वर्ष ही है तथा अप्रार्थी संख्या 02 का उक्त भूमि पर कोई निर्माण या रहवास नही है। उक्त विवादित भूमि सार्वजनिक हितार्थ के पुराने कुंआ, पेजका व हौदी निर्मित सुदा सरकारी संपति है, जिस पर ग्राम पंचायत को पटटा जारी करने या आवंटन करने का कोई हक अधिकार नही था न हैं तथा न ही उक्त भूमि ग्राम पंचायत सिवाना की स्वामित्व की भूमि ही हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थी के हक स्वामित्व की सार्वजनिक कुंआ पेजका की कब्जा सुदा भूमि है। पटटा पत्रावली में मौका रिपोर्ट जारी होना बताया है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि उक्त पटटा किस स्थान का किस खसरे में व कितने नाप व पडौस का जारी किया गया हैं, ऐसा कोई अंकन तक नहीं किया गया न ही उक्त मौका रिपोर्ट किस तारिख को देखा गया जिसका भी कोई ईन्द्राज तक नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रपत्र 22 नियम 148 का जो नोटिस जारी किया गया हैं, जिस पर कोई तारिख व क्रमांक का अंकन नही हैं और न ही पंचायत व सरपंच की मोहर है तथा उक्त नोटिस कहा चस्पा किया किसके समक्ष चस्पा किया किसीके हस्ताक्षर अंकन तक नही है। साथ ही आदेशिकाओं में भी सारे कॉलम खाली है व किस तारिख को आदेशिकाएँ लिखी गई, जिसका भी कोई अंकन नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नियम 145 से लगाकर नियम 149 के किसी भी तरह से पालन नही की गई है। इस प्रकार उक्त आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की अवहेना करते हुए जारी करने से अस्पात योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा पट्टा संख्या 913 दिनांक 05.12.2019 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 का रहवासीय भूखण्ड मौजा सिवाना की आबादी भूमि में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 913 दिनांक 05.12.2019 पूर्णतया विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2019 में जारी पट्टे को निरस्त करवाए जाने हेतु श्रीमान् के समक्ष निगरानी 3 वर्ष के पश्चात् पेश की है, जो परिसीमा अधिनियम के म्याद बाहर है। प्रार्थी द्वारा परिसीमा के पश्चात् पेश निगरानी में हुए विलंब को अपास्त करवाने हेतु भी अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् स्वयं के हक में जारी आवंटन या स्वामित्व का होना बताया गया, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु किसी प्रकार दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। पीएचइडी

जिला कलक्टर
बालोतरा

विभाग को अगर जमीन की जरूरत होती है तो विभाग द्वारा आंवटन की जाती है, जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा आंवटन संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया गया तथा न ही मौके पर कब्जा कब से है, का दस्तावेज पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा मौजा सिवाना की आबादी भूमि का जारी किया गया और अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा अन्य लोगो को भी उक्त आबादी भूमि का पट्टे जारी किये गये, जबकि प्रार्थी द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य नाप का पट्टे को ही निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है। कथाकथित पानी का कुंआ, पानी की होदी, सरकारी कुंए के रूप में अवस्थित रही हों तथा राज्य सरकार या ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के हक में किसी प्रकार का आंवटन पट्टा आदि जारी किया हों, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। मौके पर प्रार्थी के नाम से तथाकथित भूमि कभी कब्जे व स्वामित्व की नहीं रही और न ही प्रार्थी के द्वारा तथाकथित बेरा व होदी का उपयोग सरकारी कार्य के रूप में किया गया। साथ ही तथाकथित पानी का कुंआ होदी निगरानीकार के स्वामित्व की रही हों, मौके पर उनका कोई कब्जा हो या प्रार्थी के नाम से मौके पर कभी विद्युत कनेक्शन भी जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, केवल मौखिक कथनों के आधार पर पट्टा सुद भूमि को प्रार्थी के स्वामित्व की होना स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा मौके पर राजनीतिक प्रभाव में आकर अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टासुद भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिना किसी दस्तावेजी सबूत के अभाव में वादग्रस्त भूखंड सार्वजनिक जन. स्वा.अभि. विभाग के कब्जे व स्वामित्व का होना स्वीकार नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा म्याद बाहर निगरानी पेश की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 913 दिनांक 05.12.2019 पूर्णतया विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार बाहर एवं म्याद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 913 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी मुख्य आपत्ति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम

जिला कलक्टर
बालोतरा

पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 913 जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिवाना/वर्तमान नगरपालिका सिवाना से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 रमेश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भूखण्ड किस श्रेणी का है, कितन वर्षों का कब्जा है, का अंकन नहीं होना पाया गया तथा अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आंवटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में भूखण्ड किस श्रेणी का है एवं कितने वर्षों का कब्जा है, का अंकित नहीं किया गया तथा अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 913 को जारी करते समय *"पंचायती राज नियम 157(1) के तहत 50 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित मकानों हेतु 100/– या 200/– रू की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने उपरांत पट्टा जारी किया किया जा सकेगा"* की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। साथ ही पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शा पर सचिव व आवेदक के हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है तथा बयान फार्म भी नहीं पाया गया व शपथ पत्र भी पट्टा जारी होने के बाद के दिनांक को प्रस्तुत करना पाया गया। अलावा इसके मूल आलोच्य पट्टा में जारी दिनांक अंकित नहीं होना पाया और न ही रसिद संख्या अंकित होना पाया गया। साथ ही पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट भी खाली है, गवाह के बयान भी खाली है और मिसल में खसरा नंबर अंकित नहीं होना पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिवाना अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार

जिला कलक्टर
बालोतरा

क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या **913** जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या **913** जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर बालोतरा